महत्वपूर्ण / निर्वाचन तत्काल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

अशोकनगर, दिनांक 25/11/2018

क्रमांक/सामा.निर्वा./2018/5777

// आदेश //

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विधानसभा निर्वाचन 2018 के अन्तर्गत अशोकनगर जिले के विधानसभा क्षेत्रों 032 अशोकनगर (अजा), 033 चंदेरी, 034 मुंगावली हेतु दिनांक 28 नवम्बर 2018 को प्रातः 08:00 से सायं 05:00 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय 48 घण्टे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वत्रंत निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करें। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाये।

अतएव उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों/दृष्टिगत रखते हुए तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है। मुझे तद्नुसार आदेश प्रसारित करने हेतु आकस्मिकता तथा पर्याप्त आधार विद्यमान होने की पूर्णरूपेण तृष्टि होती है।

अतः मैं डॉ. मंजू शर्मा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अशोकनगर जिले की राजस्व सीमाओं के मतदान की समाप्ति की अवधि के 48 घण्टें पूर्व से (दिनांक 26/11/2018 सायं 05:00 बजे) निम्नानुसार आदेश देती हूँ कि –

(क) वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभायें नहीं होगी या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। परन्तु घर–घर जाकर जनसम्पर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा।

(ख) उक्त अवधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होगें और न ही आवाजाही ही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित) दिनांक 26/11/2018 को सायं 05:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

(ग) प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि/पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु लाये गये है और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते है तथा उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा।

(घ) धर्मशाला, लॉज, होटल, रिसोर्ट, मैरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक के किसी भी बाहरी व्यक्ति जो निर्वाचन सम्बंधी कार्य में संलग्न हो को अपने परिसर में नहीं ठहरायेगें। संबंधित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे।

(ङ) कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्तर प्रदेशीय या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा।

(च) पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा पकड़ने हेतु विशेष अभियान चलायेंगे तथा दिनांक 26/11/2018 सायं 05:00 बजे से दिनांक 28/11/2018 तक घोषित शुष्क दिवसों का पूर्णरूपेण पालन करायेंगें।

(छ) कोई भी व्यक्ति दिनांक 26/11/2018 को सायं 05:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घंटे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।

(ज) मतदान के समापन के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जावेगा।

(झ) कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नहीं लगायेगा या लगाने का प्रयास ही करेगा।

(ञ) केवल मतदान के दिवस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 03) की अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी अन्य नेता (राजनैतिक व्यक्ति) को किसी भी अन्य वाहन प्रयोग की अनुमतिं नहीं दी जायेगी।

(ट) अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 05 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन में मूलतः (कलर्ड फोटोकॉपी नहीं) चिपकाकर प्रदर्शित करनी होगी।

(ठ) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है तो उसको आंवटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा।

(ड) कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, एजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों का परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5)के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियों, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।

(ढ) कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह स्वयं अपने या परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो उस स्थिति में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

(ण) मतदान के दिन निजी वाहन, जिनका निर्वाचन से संबंध नहीं है, अस्पताल वैन, ऐम्बुलेंस, दूध, पानी के टेंकर, विद्युत, आपातकालीन ड्यूटी के वाहन, पुलिस, निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, अस्पताल हेतु टैक्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, निर्वाचन कर्तव्यबद्ध अधिकारी के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(त) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर निर्वाचन संबंधी प्रचार या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगी।

(थ) किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(द) किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियों किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होगीं तथा सारी श्वेत पर्चियां रहेगी।

(ध) कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यर्थी एक टेबल तथा दो कुर्सियां (बिना तम्बू के लगेंगी)। टेबिल पर एक बैनर 3 फुट X 1.5 फुट का लगाया जा सकता है। बूथों में लगाये व्यक्ति अपने साथ अपना मतदाता पहचान पत्र रखेंगे।

(न) मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(प) कोई भी व्यक्ति जो उस मतदान केंद्र का मतदाता न हो मतदान अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक नियुक्त मतदान अभिकर्ता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रदर्शित करेगा।

(फ) निर्वाचन के संचालन नियम 49–घ के तहत केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से प्रदर्शित करेंगे।

(ब) मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करेंगें जिससे मतदान की गोपनीयता प्रकट होती हो।

(भ) पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे FST, SST को 24 घण्टें प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगें।

(म) मतदान केंद्र में पीडब्ल्यूडी वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्रायसायकिल को मतदान केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी।

(य) पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मतदान दिवस की शिकायतों के निपटाने हेतु ठोस तंत्र तथा शिकायत अनुवीक्षण तंत्र को चौबीसों घंटे प्रभावशील रखेंगे तथा 30 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 26.11.2018 को सायं 05:00 बजे से यह आदेश लागू होकर दिनांक 29.11.2018 को अपरान्ह 12:00 बजे तक लागू रहेगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षरों एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(डॉ. मंजू शर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/सामा.निर्वा./2018/5778 अशोकनगर, दिनांक 25/11/2018

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. माननीय प्रेक्षक महोदय विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर (अजा), 033 चंदेरी एवं 034 मुंगावली की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर की ओर पालनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
8. अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर की ओर पालनार्थ।
10. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला अशोकनगर की ओर पालनार्थ।
11. रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 032 अशोकनगर (अजा), 033 चंदेरी, 034 मुंगावली की ओर सूचनार्थ।
12. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
13. सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग अशोकनगर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
14. श्री उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग एवं नोडल अधिकारी पीडब्ल्यूडी की ओर सूचनार्थ।
15. श्री बाल कृष्ण बामोरिया शिक्षा विभाग एवं नोडल अधिकारी कम्यूनिकेशन प्लान जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
16. स्टेनो–टू–कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)